राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

ऑनलाईन ऑफ केंपस काउंसलिंग प्रक्रिया – M.Sc./Ph.D. (Ag./Hort.) 2013

ऑनलाईन ऑफ केंपस काउंसलिंग हेतु प्रमुख स्टेप

ऑनलाईन आवेदन

1. ऑनलाईन पंजीयन, आवेदन एवं आवेदन शुल्क का भुगतान (Online Registration/Application)
2. अर्हताकारी परीक्षा के आधार पर पात्र आवेदनों की लिस्ट का ऑनलाईन प्रदर्षन

ऑनलाईन ऑफ केंपस काउंसलिंग

3. पात्र आवेदकों द्वारा ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन एवं काउंसलिंग शुल्क का भुगतान

   (Online preferences/choice filling and payment of counselling fee)

4. दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)

5. ऑनलाईन आवंटन एवं आंषिक षिक्षण शुल्क का भुगतान

   (Online Allotment and part payment of fee)

6. आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश

   (Attendance and Admission in allotted college)

✓ काउंसलिग में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर सम्मिलित होने वाले समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी स्टेप्स 1 से 6 तक का पालन करना होगा।

1. ऑनलाईन पंजीयन, आवेदन एवं आवेदन शुल्क का भुगतान (Online Registration/Application)

समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को काउंसलिग में सम्मिलित होने के लिये ऑनलाईन पंजीयन कराना होगा। ऑनलाईन काउंसलिग में सम्मिलित होने के लिये सभी अभ्यर्थी वेबसाईट पर ऑनलाईन पंजीयन करवाएगें। पंजीयन हेतु कोई शुल्क देय नही है। ऑनलाईन काउंसलिग हेतु अभ्यर्थी इन्टरनेट के माध्यम से राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की वेबसाईट **www.rvskvv.nic.in तथा www.crisponlineservices.com** द्वारा प्रदेश में कही से भी सम्मिलित हो सकते है।

- ➢ सफलतापूर्वक पंजीयन उपरांत अभ्यर्थी को आई.डी. एवं पासवर्ड SMS/email द्वारा प्राप्त होगा।
- ➢ अगली बार अभ्यर्थी अपने आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर लागईन कर सकते है।

- सभी अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिये आई.डी. तथा पासवर्ड सुरक्षित व गोपनीय रखें ताकि समय–समय पर आवश्यक्तानुसार उसका उपयोग करने में परेशानी न हो।
- अभ्यर्थी को यह सुविधा रहेगी की वह कभी भी अपना पासवर्ड बदल सकता है।
- पासवर्ड भूल जाने/गुम जाने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा **Forget Password** पर क्लिक कर पासवर्ड **Reset** किया जा सकेगा।
- अभ्यर्थी अपने आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
- पूर्णतः सही आवेदन भरने पर आवेदक को ऑनलाईन आवेदन शुल्क राषि रु. 300/– अप्रतिदेय (Non refundable) का भुगतान कर पावती प्राप्त करना अनिवार्य है।
- ऑनलाईन शुल्क भुगतान की पावती होने पर ही आवेदन को मान्य किया जावेगा।

2. अर्हताकारी परीक्षा के आधार पर पात्र आवेदनों की लिस्ट का ऑनलाईन प्रदर्शन

आवेदन की अंतिम तिथि के पष्चात अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर पात्र आवेदको की लिस्ट विष्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्षित की जावेगी। पात्र अभ्यर्थि कांउसलिंग में ऑनलाईन सम्मिलित हो सकेगें।

3. पात्र आवेदकों द्वारा ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन एवं काउंसलिंग शुल्क का भुगतान

(Online preferences/choice filling and part payment of fee)

सफलतापूर्वक लागईन पश्चात अभ्यर्थी अर्हताकरी परीक्षा में अपने पाठ्यक्रम अनुसार संस्थाओं का प्राथमिकताक्रम से चयन कर सकेगें। इस कार्यवाही के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा –

अभ्यर्थी को कम से कम एक संस्था /पाठ्यक्रम का प्राथमिकतानुसार ऑनलाइन चयन करना आवष्यक है, तथा निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व शुल्क का भुगतान कर लॉक कर सकेगा।

अभ्यर्थी चाही गई ब्रांच के लिये Free seat तथा Payment seat के लिये पृथक–पृथक च्वाईस का चयन कर सकते है।

अपनी इच्छित प्राथमिकताक्रम को लॉक करने के पूर्व अभ्यर्थी अपनी इच्छित प्राथमिकताक्रम को अपनी संतुष्टि के लिये कई बार बदल सकते है। शुल्क का भुगतान करने के बाद इच्छित प्राथमिकताक्रम लॉक हो जावेगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही हो सकेगा। अभ्यर्थीयों को शुल्क रु. 550/– का ऑनलाइन भुगतान करना होगा जो कि जो कि अप्रतिदेय (Non refundable) है। अपनी च्वाईस को लॉक करने के बाद एक पावती प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किये गये शुल्क का ब्यौरा तथा उनकी च्वाईस (Choice) का क्रम

प्राथमिकताक्रम के अनुसार मुद्रित होगा। अभ्यर्थी इस पावती (Receipt) को संभालकर अपने पास रखें। **दस्तावेजों के सत्यापन के समय यह पावती प्रस्तुत करना होगी।**

- शुल्क भुगतान के लिये निम्नलिखित दिये गये विकल्पों मे से किसी भी एक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है।
    - इन्टरनेट बैकिंग (समस्त बैंक)
    - एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड (मास्टर/वीजा)

4. दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)

अभ्यर्थी द्वारा इच्छित प्राथमिकताक्रम को लॉक करने के पश्चात सर्वप्रथम सत्यापन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने निम्नलिखित मूल दस्तावेजों का निकटस्थ सहायता केंद्रो (कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर/इन्दौर/सीहोर तथा उद्यानिकि महाविद्यालय, मन्दसौर) से सत्यापित करवाना होगा–

- अर्हकारी परीक्षा (M.Sc. (Ag.) / M.Sc. (Horti.)) तथा B.Sc. (Ag.) / B.Sc. (Horti.) की पी. डी. सी. (Provisional Degree Certificate) एवं अंकसूची (कुलसचिव द्वारा जारी)
- 10वीं की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
- 12वीं की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
- जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)
- आय प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)
- ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एवं शुल्क भगुतान की पावती

सहायता केंद्रो पर मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापिस कर दिये जावेगें।

सहायता केंद्र अभ्यर्थीयों को Eligible/Not Eligible की पावती जारी करेंगें।

Not Eligible अभ्यर्थी सत्यापन की अंतिम तिथि के पूर्व पुनः उपस्थित होकर अपने सही/चाहे गये दस्तावेंजों का सत्यापन करवा सकते है अथवा आरक्षित श्रेणी में Not Eligible होने पर अभ्यर्थी अपनी स्वेच्छा से अनारक्षित अभ्यर्थी की श्रेणी में काउंसलिग हेतु सम्मिलित हो सकेगा।

4. ऑनलाईन आवंटन एवं आंशिक शिक्षण शुल्क का भुगतान

(Online Allotment and part paymeny of fee)

अभ्यर्थीयों द्वारा भरी गई प्राथमिकताक्रम के आधार पर कॉमन मेरिट के अनुसार निर्धारित समय सारणी के अनुसार आवंटन किया जावेगा तथा आवंटित संस्था/प्राठ्यक्रम का उल्लेख आवंटन पत्र में होगा। जिसे वे अपने लॉगईनआईडी/पासवर्ड डालकर इसका प्रिंटआउट प्राप्त करेगें।

अनारक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यथियों को दस्तावेज सत्यापन के समय प्राप्त Eligibility slip में दर्षायी पात्रता अनुसार आंषिक षिक्षण शुल्क राषि रु. 5000/– (अप्रतिदेय Non refundable) का ऑनलाईन भुगतान अपने लॉगईन आईडी/पासवर्ड का उपयोग कर करना होगा। राषि रु. 5000/– के ऑनलाईन भुगतान की पावती प्रवेष हेतु निर्धारित समय में आवंटित संस्था में प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थि आवंटित संस्था में प्रवेष के पात्र होगें।

5. आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश

अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु आवंटित संस्था में आवंटन पत्र, षुल्क भुगतान की पावती, अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्र तथा आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होगें।

निर्धारित समयावधि में षुल्क भुगतान कर प्रवेष नही लेने वाले अभ्यर्थियों की सोटें रिक्त मानी जावेगी तथा उनका आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा।